

परियोजना का नाम— जनपद देहरादून, मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत आरकेडिया जोन— एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.020 है0 निजी वन घोषित भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रस्तावित स्थल के निकटस्थ भूमि मोटीधार क0सं0-3(बी) में रिक्त स्थानों पर 100 पौधों का उचित वृक्षारोपण करना व 10 वर्षों तक रखरखाव का प्रावकलन,

मसूरी रेंज, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

समुद्र तल से ऊंचाई (मी0 में)			अक्षांश			देशान्तर		
2144			N- 30°-27'-03.6"			E-078°-08'-01-9"		
क0 सं0	कार्य विवरण	इकाई	नपत मी0 में			परिमाणु / संख्या	दर प्रति	धनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊंचाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्षेत्र में झाड़ी सफाई करना लगभग 2 है0 क्षेत्र में	है0				2 Ha	1578.00	3156.00
1	पौध रोपण हेतु गढ़दे खुदान करना	संख्या	0.30	0.30	0.45	100 No.	7.00	700.00
2	गढ़दा भरान कार्य	संख्या	0.30	0.30	0.45	100 No.	1.26	126.00
3	पौध की कीमत, किसान पौधशाला से	संख्या				100 No.	100.00	10000.00
4	पौध रोपण करना	संख्या				100 No.	2.74	274.00
5	पौध की प्रथम बार निराई, गुड़ाई करना	संख्या				100 No.	1.96	196.00
6	पौध की द्वितीय बार निराई, गुड़ाई करना	संख्या				100 No.	1.00	100.00
7	दूसरे व तीसरे वर्ष निराई, गुड़ाई व मल्लिचंग कार्य	संख्या				100 No.	1.00	100.00
8	पौधों का वाहन द्वारा ढुलान करना लगभग 50 कि0मी0 दूरी से					100 No.	16.00	800.00
9	पौध का सरबोझ ढुलान करना 5 कि0मी0 दूरी से					100 No.	169.00	845.00
10	तारबाड़ करना मय तार एवं खम्भों की कीमत सहित						LS	20000.00
11	आगामी 9 वर्षों तक पौधों का रख रखाव (रू0 600-00 प्रति माह कुल 108 माह)					108 माह	600	64800.00
						Total		101097.00

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रतिहरनाक्षरित

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

or say 100000.00
or say as Permit cost Rs 1100/ha
100 ha @ 1100/ha = Rs 1,10,000
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी राजि, मसूरी।